न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 14 / 2021
दायर दिनांक : 12.07.2021
निर्णय दिनांक : 20.06.2024

उनवान

1. गणेश पिता रामचन्द्र जाट निवासी चौथपुरा तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. माधु पिता रामचन्द्र जाट निवासी चौथपुरा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :1. श्री रामलाल गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री देवीलाल जाट, अधिवक्ता अप्रार्थी

= निर्णय =

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि :

यह है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात ग्राम चौथपुरा प.ह. अनोपपुरा तहसील भूपालसागर के हल्के वेतनी में स्थित है। जिसके खाता सं. 28 के हाल आराजी नं. 1134 रकबा 0.02 है, किस्म खड्डा स्थित है जो प्रार्थी के एवं अप्रार्थी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात है, जिसका उपयोग उपभोग अपने हक हिस्से अनुसार करते आ रहे हैं। जिसमें आने जाने हेतु मैं प्रार्थी मेरी आराजी सं. 1130 से होकर अप्रार्थी की आराजी अप्रार्थी माधु के खसरा सं. 1133 की पूर्वी मेड पर होकर उक्त कुएं खड्डा पर मैं प्रार्थी कई वर्षों से आ जा रहा हूं एवं इसका उपयोग उपभोग कर रहा हूं मगर अप्रार्थी द्वारा करीब 15 दिन पूर्व उक्त आ.सं. 1133 की चारों ओर लोहे की कांटेदार तार व जाली एवं खम्भे लगाकर प्रार्थी के कुएं खड्डा पर आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया है इसलिए उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया जावे। प्रार्थी की आराजियात पर खाली भरी बैलगाड़ी, मवेशी, साज सामंद व ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने व कृषि उपज के ढोने एवं कुएं पर मोटर चलाने व अन्य कार्य के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थी की आराजी में जाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा अप्रार्थी द्वारा उक्त कदीमी रास्ता को खम्भे व तार जाली लगाकर अवरूद्ध कर दिया जिससे प्रार्थी को अपनी आराजी में खड़ी फसल की देखरेख करने मवेशी, साज, सामंद ट्रेक्टर व कुएं पर मोटर चलाने इत्यादि लाने ले जाने में परेशानी हो रही है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इसलिए यह रास्ता अति आवश्यक होने से रास्ता दिलाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त रास्ता दिलाया जाकर अप्रार्थी की आराजियात में रास्ता दर्ज कराया जाने का आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में वकील प्रार्थी, वकील अप्रार्थी की बहस सुनी। विपक्षी राजस्वकार द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता श्री देवीलाल जाट ने अप्रार्थी की ओर जवाब पेश कर जवाब में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की कॉलम सं. 1 में लिखित तथ्य में संयुक्त खातेदार होना स्वीकार है बाकी तथ्य अस्वीकार हैं। आराजियात संयुक्त खातेदारी की है जिसमें आ.सं. 1134 रकबा 0.02 है. किस्म खड्डा संयुक्त खातेदारी होकर प्रार्थी गणेश व अप्रार्थी माधु

के नाम दर्ज है उक्त आराजियात कृषि उपयोग उपभोग की नहीं होकर खडडे के रूप में है जिस पर काश्त किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी क द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी माधू को हैरान परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ना तो उक्त आराजी सं. 1134 पर आता है ना ही उसका कब्जा है और ना ही उपयोग उपभोग में है। केवल खाते में नाम दर्ज होने से यह प्रा. पत्र पेश किया है कानूनन कृषि योग्य भूमि पर कृषि करने के लिए रास्ते की आवश्यकता रहती है जबकि वादग्रस्त आराजियात पर 0.02 है. है जिसमें भी आधा हिस्सा अप्राार्थी माधू का है तथा संयुक्त खातेदार है उस रास्ते पर आने जाने हेतु अप्रार्थी की एकल स्वामित्व कब्जे काश्त की खातेदारी आराजियात को रास्ते के लिए खत्म नहीं की जा सकती यदि अप्रार्थी की खातेदारी आराजियात को रास्ते में तबदील किया जायेगा तो अप्रार्थी को अपार नुकसान होगा। आ.सं. 1134 पर आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के आलामात नहीं है खाली भरी बैलगाडी लाने जे जाने ट्रेक्टर कृषि आदि उपकरण लाने ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, उक्त आराजियात पर कोई कुआं भी नहीं है जिससे मोटर चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता। बिना बंटवारा किये संयुक्त खातेदारी की आराजियात पर रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। प्रार्थना पत्र की कॉलम सं. 2, 3, 4, 5 गलत होने से अस्वीकार है। प्रा. पत्र की कॉलम सं. 6, 7 कानूनी होकर विचारणीय है। अतः जवाब स्वीकार कर कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किया जावे।

—:: आदेश ::—

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन कर दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान कर रास्ता दिलाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि आ.सं. 1134 सहखातेदारी भूमि है, प्रार्थी की खातेदारी आ.सं. 1125, 1126, 1132 में वैकल्पिक रास्ता होकर प्रार्थी आ जा रहा है, उक्त आ.सं. 1134 की किस्म खड्डा है चूंकि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, प्रार्थी उस रास्ते से आता जाता है तथा उक्त भूमि खड्डा होने से खडडे में से रास्ता दिया जाना उचित नहीं है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अतः वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थी के आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, जिससे प्रार्थी आवागमन कर रहा है तथा आ.सं. 1134 खडडा होने से भी रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। निर्णय दिनांक 20.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हों

(पुनीत कुमार गेलडा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर